न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 40/2023
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 27.09.2024

गोपाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रार्थीया

बनाम

1. नवरतन पुत्र स्व0 नाथू जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. विष्णु पुत्र स्व0 नाथू जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. गीता देवी पत्नि स्व0 नाथू जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. चन्द्रकान्ता देवी पुत्री स्व0 नाथू धर्मपत्नि औमप्रकाश जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू हाल निवासी चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. माया देवी पुत्री स्व0 नाथू धर्मपत्नि राधेश्याम जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू तहसील फागी हाल निवासी चौगाई तहसील मालपुरा जिला टोंक।
6. ममता पुत्री स्व0 नाथू पत्नि गोविन्दनारायण जाति ब्राहाम्ण निवासी चौरू हाल निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील माधोराजपुरा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील प्रार्थीया
श्री पुरूषोतम शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1)

निर्णय दिनांक:– 27.09.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.3794 हैक्टेयर चाही ए भूमि वाके ग्राम चौरू उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान से पश्चिम की ओर ख0न0 2426 के लगवा प्रार्थी की भूमि ख0न0 2430/2 स्थित है, तथा ख0न0 2427 गै0मु0चाह स्थित है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार है, तथा वर्तमान में ख0न0 2427 में काश्त नही होकर पडत भूमि पडी है जिसमें से प्रार्थी का आवागमन है लेकिन ख0न0 2427 के आगे उत्तर की ओर ख0न0 2426 में अप्रार्थी के नाम खातेदारी होने से रिकार्ड में रास्ता नही है इसलिये आम रास्ते से ख0न0 2426 में से आने–जाने के मार्ग के लिये 20 वर्गफिट चौडाई एवं करीब 80 फिट लम्बाई भूमि की आवश्यकता है। जिसे नक्शा ट्रेस में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2430/2 रकबा 0.3794 हैक्टेयर से मुख्य रास्ते पर आने के लिये ख0न0 2426 से जाना पडता है। जो प्रतिपक्षीगण खातेदार है की आराजी में से होकर प्रार्थी की खातेदारी में जोत हेतु आने–जाने के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नही खुलता है। चारों तरफ कोई नियमति मार्ग नही है। आज से पूर्व कोई कहीं पर भी जोत हेतु आ जा सकता था लेकिन प्रतिपक्षीगण खातेदरों ने जोत के

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

नियमति रास्ते (मार्ग) पर आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी जोत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल रंग से सुविधा के लिये दर्शाया गया है। ख0न0 2427 में प्रार्थी सहखातेदार है जिसमें खेती नही होकर पडत भूमि है जो रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है, तथा प्रार्थी अपने ख0न0 2430/2 में पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी नजरी नक्शें में बरंग लाल रंग से दर्शित रास्ते से आवागमन के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण खातेदारान को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तैय फरमाने प्रार्थी अदा करने को तैयार है। उपरोक्त प्रतिपक्षी खातेदारान के खसरा नम्बर 2426 जिसकी नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है, में से होकर नवीन रास्ता बाद जॉच प्रदान किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान व आराजी मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान को सुनवाई का एवं प्रकरण का निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये रजि0 एडी तलवी जारी की गई। अप्रार्थीगण वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 15.03.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी सं0 01 व 2 की और से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम शर्मा उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.07.2024 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को मन्सूब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 की और से जबाब मय प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मय प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों मे बताया की उक्त प्रार्थना पत्र 251 (क), राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर पेश किया है क्योंकि धारा 251 (क) के तहत एक काश्तकार जोत के लिए रिकार्डेड रास्ते से अपनी आराजी तक पहुँचने हेतु अन्य काश्तकार से रास्ते की माँग कर सकता है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नहीं किया है कि वह अपनी आराजी से उक्त रिकार्डेड रास्ते तक जोत हेतु रास्ता दिलवाया जावें। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क), के प्रावधानों के विपरीत होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी आराजी खसरा नं. 2830/2 से अप्रार्थी की आराजी खसरा नं. 2426 में से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 2427 तक रास्ते की

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

मॉग की क्योंकि प्रार्थी के खसरा नं. 2427 के आगे सरकारी नहर है जो सिंचाई विभाग की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट के प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए अपने एक खेत से दूसरी आराजी की पहुॅच हेतु रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के प्रावधानों के विपरीत अपनी सुविधा हेतु पेश किया गया है जो काबिले खारीज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नं. 2830/2 में पहुॅच हेतु रास्ते की माँग की है जबकि उक्त आराजी के सहखातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किया गया चूंकि आराजी खसरा नं. 2830/2 एक अविभाजित आराजी है जिसका कोई विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है बिना तकासमें के प्रार्थी कहॉ किस दिशा पर काबिज है अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है न ही सहखातेदारों को पक्षकार कायम किया है। इसलिए कानूनन जब तक प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2830/2 का विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है तब तक उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में केवल मुख्य मार्ग तक पहुँच हेतु रास्ते की माँग की है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में कौनसे मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग के खसरा नम्बर नहीं दर्शाया न ही कहाँ से कहाँ तक जाता है एवं न ही उसकी किस्म क्या है इससे स्पष्ट है कि कोई अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 2426 से होकर किसी भी रिकार्डेड रास्ते पर मुख्य मार्ग नहीं है। मात्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 2830/1 से 2427 तक पहुँच हेतु रास्ते की माँग की है जोकि आर. टी. एक्ट की धारा 251 (क) के तहत प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा नं. 2870/12 के पहुँच हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2426 की सींव (मेर) से मॉग की ऐसी स्थिति में मान्य राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा जारी प्रतिपादित कानूनों के तहत सींव (मेंर) के दोनों के खातेदारों को पक्षकार कायम करते हुये सींव (मेंर) के दोनों खातेदारों की भूमि में से समान्तर भूमि रास्ते हेतु दी जा सकती है। कानूनन सींव (मेंर) एकतरफा किसी भी खातेदारी की भूमि से रास्ते की मॉग नहीं की जा सकती। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 2426 के सींव (मेंर) के खसरा नं. 2429/1 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों एवं तथ्यों को छिपाते हुये सरकारी भूमि जोकि सिचांई विभाग राजसथान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर नहर बनी हुई है जिसकी चौडाई करीबन 50 फीट है एवं गहरी 10 फीट है जिसको अवैद्यानिक तरीके से अतिक्रमण करते हुये सिंचाई में काम आने वाली नहर को पाल को तोडकर नहर में मिट्टी डालकर नहर बंद कर रास्ते की माँग कर रहे है क्योंकि मौके पर कोई रास्ता रिकार्डेड है ही नहीं, इसलिए कानूनन धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट के प्रावधानों में कही भी यह अधिकार नहीं है कि सरकारी भूमि में बनी

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

नहर जो सिचाई के काम आती है उसको बंद/अवरूद्ध करके अतिक्रमण करते हुये उक्त नहरी भूमि को रास्ता घोषित नहीं कर सकता इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन आर. टी. एक्ट की धारा 251 (क) में प्रावधानों के विपरीत होने से खारीज किये जाने योग्य है। मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को तहसीलदार फागी से रिपोर्ट मंगवायी थी जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने का तथ्य बताया था उक्त रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का पेश करने से 2 माह पूर्व ही मंगवाई गई थी जो कि पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारों को बिना सूचना दिये मंगवायी थी जो कानूनन गलत है। मान्य न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में बिना कोर्ट आपत्ती पर पुनः 01.05.2023 को तहसीलदार फागी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार फागी द्वारा आर.टी. एक्ट् धारा 67 के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुये पक्षकार को कोई नोटिस नहीं दिया न ही किसी प्रकार से सूचित किया बलिक अपने पटवार हल्का चौरू री मौके की रिपोर्ट तलब कर मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अपनी मौका रिपोर्ट पेश की है जबकि कानूनन धारा 251 (क) के प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती है पटवारी हल्का चौरू की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार फागी के द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 में भी स्पष्ट माना है कि खसरा नं. 2429/1 के लगवा/नजदीक खसरा नं. 2881 नहर के पडती है एवं प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि 2830/1 में प्रार्थी द्वारा बताये रास्ते जोकि खसरा नं. 2881 में बनी नहर को जो राजस्व रिकार्ड में सिंचाई विभाग के नाम है को पाटकर अर्थात् नहर को बंद कर अतिक्रमण करते हुये रास्ता बना रखा है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं बल्कि नहर को तोडकर गैर तरीके से रास्ता बना रखा जिसके बाबत धारा 251 (क) के तहत प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी भी रिकार्ड से मिलाना नही रखता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत नवीन मार्ग हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

वाके ग्राम चौरू उत्तर के खाता सं0 94 के ख0न0 2430/2 मे प्रार्थी का 2/3 हिस्सा व खाता सं0 183 के ख0न0 2426 मे अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के पास वर्तमान मे अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है। प्रार्थी द्वारा मौके खसरा नम्बर 2281 किस्म नहर को पाटकर खसरा नम्बर 2427 व खसरा नम्बर 2426 मे से होकर आवगमन कर रखा है। अतः रास्ता दिया जाना उचित होगा। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया जिससे से स्पष्ट हो की प्रार्थी के पास अपने मकान/खेत पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचाई के प्रयोग के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्मार्ग को विस्तार या चौडा करना चाहता है– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किये जाने पर ही नवीन रास्ता कायम किया जावे। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश से प्रतीत होता है कि ख0न0 2430/2 मे आने जाने के लिये प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही नजदीक है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.3794 हैक्टेयर चाही गयी भूमि वाके ग्राम चौरू उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात में आने जाने हेतु वर्तमान डी0एल0सी0 का 2 गुना प्रतिफल प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर ख0न0 2426 मे से 20 वर्गफीट चौडा एवं 80 फिट लम्बाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि भुगतान की रसीद से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/24

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू